



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-03092025-265920
CG-MH-E-03092025-265920

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 603]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 2, 2025/भाद्र 11, 1947

No. 603]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 2, 2025/BHADRA 11, 1947

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 1 सितम्बर, 2025

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(पोर्टफोलियो प्रबंधक) (संशोधन) विनियम, 2025

सं. सेबी/एल.ए.डी-एन.आर.ओ./जी.एन./2025/260 - बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ख) तथा धारा 12 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) (संशोधन) विनियम, 2025 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020 में,-
 - विनियम 20 में, खंड (xi) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

“(xi) अनुसूची-IV”

- II. विनियम 22 में, उप-विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-
 “(3) पोर्टफोलियो प्रबंधक ग्राहक के साथ करार (एग्रीमेंट) [जिसका जिक्र उप-विनियम (1) में किया गया है] करने से पहले, अनुसूची-I में दिए हुए फॉर्म-ग के अनुसार प्रमाणपत्र के साथ, बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जाने वाले फॉर्मेट में डिस्कलोज़र डॉक्यूमेंट (प्रकटीकरण दस्तावेज) ग्राहक को देगा।”
- III. अनुसूची-V हट जाएगी।

अमित प्रधान, कार्यपालक निदेशक
 [विज्ञापन-III/4/असा./336/2025-26]

पाद टिप्पणः

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2020/03 द्वारा, 16 जनवरी, 2020 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020 तत्पश्चात्,-
 (क) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा
 (ख) 16 मार्च, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/10, द्वारा
 (ग) 26 अप्रैल, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/16, द्वारा
 (घ) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा
 (ङ) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/31, द्वारा
 (च) 9 नवम्बर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) (चौथा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/58, द्वारा
 (छ) 22 अगस्त, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) (संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/94, द्वारा
 (ज) 17 जनवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के नियंत्रण में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/115, द्वारा
 (झ) 7 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/121, द्वारा
 (ञ) 4 जुलाई, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विवाद सुलझाने की वैकल्पिक व्यवस्था) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/137, द्वारा
 (ट) 18 अगस्त, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शिकायत निवारण व्यवस्था को सुविधाजनक बनाना) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/146, द्वारा
 (ठ) 10 फरवरी, 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निवेशक चार्टर) (संशोधन) विनियम, 2025, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/228, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
NOTIFICATION

Mumbai, the 1st September, 2025

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (PORTFOLIO MANAGERS)
(AMENDMENT) REGULATIONS, 2025

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/260 – In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 read with sub-section (1) of Section 11, clause (b) of sub-section (2) of Section 11 and sub-section (1) of Section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020, namely, –

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) (Amendment) Regulations, 2025.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020,
 - I. In regulation 20, clause (xi) shall be substituted with the following, namely,–
““(xi) Schedule IV.”
 - II. In regulation 22, sub-regulation (3) shall be substituted with the following, namely,–
““(3) The portfolio manager shall provide to the client, the Disclosure Document, in the format as may be specified by the Board, along with a certificate in Form C as specified in Schedule I, prior to entering into an agreement with the client as referred to in sub-regulation (1).”
 - III. Schedule V shall be deleted.

AMIT PRADHAN, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./336/2025-26]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020, were published in the Gazette of India on January 16, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/03.
2. The Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020 were subsequently amended on, –
 - (a) 17th April, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
 - (b) 16th March, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/10.
 - (c) 26th April, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/16.
 - (d) 3rd August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
 - (e) 3rd August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) (Third Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/31

- (f) 9th November, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) (Fourth Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/58.
- (g) 22nd August, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/94.
- (h) 17th January, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Control in Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/115.
- (i) 7th February, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/121.
- (j) 4th July, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Dispute Resolution Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/137.
- (k) 18th August, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Facilitation of Grievance Redressal Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/146.
- (l) 10th February, 2025 by the Securities and Exchange Board of India (Investor Charter) (Amendment) Regulations, 2025 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/228.